-195-

पत्रांक–01/स्था0–(BSDMA)–12–02/2025/ 1190 /आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–23, दिनांक– 24-04-2026

विषयः– **प्रशिक्षित आपदा मित्रों (सामुदायिक स्वयंसेवकों) के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के 24 जिलों में लगभग 10 हजार ''आपदा मित्रों'' (सामुदायिक स्वयंसेवकों) को विभिन्न आपदाओं से बचाव संबंधी विषयों पर 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित आपदा मित्रों से आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ आदि आपदाओं के दौरान समय–समय पर आपदा प्रबंधन हेतु कार्य लिया जाता है। इसके अतिरिक्त छठ, दशहरा आदि पर्वो पर भी उनकी सेवा ली जाती है। प्रशिक्षित आपदा मित्रों से लिये गये कार्य के एवज में देय मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन था।

उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–13.04.2026 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार–''आपदा मित्रों (सामुदायिक स्वयंसेवकों) के रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों को भी आपदा प्रबंधन हेतु सेवा लिये जाने की स्थिति में, उक्त सेवा अवधि के लिए, श्रम विभाग द्वारा कुशल मजदूरों (Skilled Workers) के लिए निर्धारित दर पर आबादी निष्क्रमण मद से दैनिक मजूदरी/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।''

तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

24/04/26
सचिव

ज्ञापांकः–01/स्था0–(BSDMA)–12–02/2025/ 1190 /आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–24-04-2026

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/महानिदेशक–सह–आयुक्त असैनिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/04/26
सचिव

F:\2026\Chandan Sir I\BSDMA\Letter- 21-04-2026.docx